



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 1674 /SEIAA/22

Date: 23/9/22

संशोधन

प्रति,

मेसर्स नवरतनमल गौगलिया एंड—
—संस मदनपुरा लेटेराईट एंड फायरक्ले माईन,
श्री शरद चन्द्रा गौगलिया,
इन्ड्रस्ट्रियल एरिया, कटाय घाट रोड़, जिला कटनी (म.प्र.)


विषय: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/259740/2022 - प्रकरण क्रमांक 9069/2022 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नवरतनमल गौगलिया एंड संस मदनपुरा लेटेराईट एंड फायरक्ले माईन, श्री शरद चन्द्रा गौगलिया, इन्ड्रस्ट्रियल एरिया, कटाय घाट रोड़, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट एंड फायरक्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20848 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा नं. 294, 296/2, 298/1, 299, ग्राम मदनपुर, तहसील मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

संदर्भ:- राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 747वीं बैठक दिनांक 14.09.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 26.08.2022 की शर्त क्र. 1 " पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.02.2003 से 27.02.2023 के स्थान पर 23.07.2003 से 22.07.2023 पठन किया जाये " एवं शर्त क्र. 2 "प्रस्तावित खदान वन क्षेत्र के अंदर स्थित है अतः संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 28/11/20 की अनुशंसा अनुसार वन सीमा से 75 मीटर की दूरी छोड़कर अनापत्ति प्रदान की गई है, तथा वन सीमा की ओर चैनलिंग, फेनसिंग एवं स्पष्ट मुनारे बनाये जाये तथा खनन के दौरान निकलने वाले ओवर वर्डन को वन सीमा में एकत्रित न किया जाये अपितु इसे लीज क्षेत्र में ही एकत्रित किये जाने की शर्त पर अनुशंसा की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति की अनुशंसा का परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं खदान के सीमांकन का कार्य खनिज अधिकारी, राजश्व एवं वन मण्डलाधिकारी की उपस्थिति में किया जाये। किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।" को विलोपित किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचनार्थ।

9

अतः उपरोक्त निर्णय अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 26.08.2022 में उल्लेखित विशिष्ट शर्त क्र. 1 लीज वैधता दिनांक 28.02.2003 से 27.02.2023 के स्थान पर 23.07.2003 से 22.07.2023 पढा जाये तथा शर्त क्र. 2 को विलोपित किया जाता है। पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष शर्तें यथावत रहेगी।



(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र. 1675 / SEIAA / 2022 भोपाल

दिनांक 23/9/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

